

बिहार सरकार

परकड़ा

सूचना संख्या: 153 / 2020-21
 दिनांक: 23/11/20


03/11/20

विशेषज्ञ का सहायता द्वारा (S.A. No. 100/100) में संविदा प्राप्त की गई है।
 2016-17 में जिन भूमि का आवंटन
 24.08.2018 के आदेश पर निवेदन नं-अर्जन सह विश्व साधक राजस्व एवं भूनि सुधार
 विभाग नं. नं. 03-03-0000 नं. 113/35-2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह
 पति राजस्व विभाग परिसर नं-01-1/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित
 अनुदान के अनुसंधान में नं. नं. नं. नं. के विरुद्ध कायम की गई जनाबदीयों
 को जॉच के क्रम में राजस्व उप नि० एवं अर्जन निरोधक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि
 निम्नवत नं० नं० खास भूनि की जनाबदी कायम है।

नाम	खता	खसरा	रकबा	जनाबदीदार रकबा का नाम	नजी-2 का सू०/भाग
कौशिक 03/6	1	-	0.23 रु	करीम गिरी विश्व साधक गिरी	183/1

राजस्व उप निरोधक/अर्जन निरोधक ने उपरोक्त वर्णित जनाबदी का सर्वेहात्मक
 नानत हुए प्रतिबंधित किया है।

अतः संबंधित को संधारित जनाबदी के विरुद्ध राजस्व वस्तावेज उपस्थापित करने
 हेतु सूचना निर्गत करें। अनिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।


 दिनांक 03/11/20
 अर्जन अधिकारी
 परकड़ा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन
 एवं भूनि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स०भू० (विशा-निर्देश)-95/2016-2074
 दिनांक-13.05.18 के द्वारा दिष्ट गये निर्देश के आलाक में जॉच की गई। जनाबदीदार
 रकबा द्वारा सर्वेहात्मक जनाबदी के विरुद्ध भूनि सुधार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का
 हुकुमनामा वर्ष 1955-56 से लगायत रस्तावेज भूनि सुधार का Form-NI एवं सरकारी
 स्तर पर दिष्ट गये बंदाजनी संबंधी किसी प्रकार का वस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूनि सुधार अधिनियम 1950 को धारा 4(h) में विहित
 प्रावधानुसार जनाबदी नं० 183/1 बनाने के लिए करीम गिरी को सर्वेहात्मक नानत
 हुए रद करने को 20/11/20 की जाती है। अभिलेख भूनि सुधार उप सनाहता, जहाँ का
 भूनि।


 दिनांक 23/11/20
 अर्जन अधिकारी
 परकड़ा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी गणधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी स्थल का नाम - करीम बिहार प्रो गौवन

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - वॉट २१२९

मौजा	थाना सं०	खता सं०	प्लॉट सं०	एकड़
<u>कौनदरादुर्ग</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>—</u>	<u>०.२३ २००</u>

3. जमाबंदी पंजी-II के खिले संख्या १ प्लॉट सं०-१८३ का विवरण -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९७७-७८

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि का खतियान का नाम - वॉट २१२९

6. किस संकेत प्राधिकार / प्रदाताधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश दिनांक १६/११/७७

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी स्थल का नाम - —

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आदेश अतिरिक्त सादा हुजूमताना जमाबंदी निर्धारण / अतिरिक्त भूवदावली - —

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जमाबंदी कायम अधिकार से ही गई है/पुनः जमाबंदी कायम की गई है/दोषित रिटर्न / बन्दोबस्त के अन्तर्गत जमाबंदी कायम की गई है/संवेदन पत्रों के अन्तर्गत जमाबंदी कायम की गई है पंजी- II सं

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंतर का विवरण -

क्र० संख्या १७८१७८ लगान रकम —

१६/३/९२

१९९१-९२

W
२९/११/२०२०
१
२९/११/२०

संवैध/अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हनुमानगढ़
2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम- कबीर मिश्रा पि. डी. भनू मिश्रा
ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

नौजा	थाना नं०	खता सं०	खंखरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कौनहवा खुर्द</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>0.23</u>	<u>गोखर</u>	<u>गोखर की नहराकाली के गोखर खेत भूमि के सभी ख. ख. के लिए फिलहाल खतियाना का पंजीकरण हुआ है</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप- फरस
4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संघारित है- 2003-04 से
5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- काफ़ेज शर्मा नहीं है !
(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्म का नाम अंचल कार्यालय में संघारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
6. नामान्तरण/दाखिल-खारिज उपरान्त संघारित जमाबन्दी के नानलों में मूल जमाबन्दी रैयत की विवरणी-
7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 - i) अनिबंधित सादा हुकुमनामा
 - ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)
 - iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ)
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक)
9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-
 - i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -
 - ii) अंचल/अनुमंडल में संघारित बन्दोवस्ती पंजी से - पंजी II से
 - iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - नहीं
10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नहीं
11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिलड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरासा सहित- नहीं
14. अंचल निरीक्षक का स्थलांत जाँचोपरान्त नन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं

अवैध जमाबन्दी भूमि सुधार उपसमनहता अनुमंडल पंचाट अंचल जमाबन्दी जमाबन्दी

23/11/20